

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 211/2019

1. मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-810 ऑफिस बिप्लेक्स एस बी रोड बोरीवली पश्चिम 400092 व शाखा कार्यालय A 434 Narsari Circa vashali nagar jaipur 302021 राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी हर्षिता।

प्रार्थी

बनाम

1. हीरालाल सैनी पुत्र जगनलाल जाति सैनी निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. बीना सैनी पत्नी हीरालाल सैनी निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।



उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 31.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण हीरालाल सैनी पुत्र जगनलाल जाति सैनी निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा व अन्य को 11,00,000/- (रुपये ग्यारह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा बंधक रखी गई अप्रार्थी हीरालाल सैनी पुत्र श्री जगनलाल सैनी निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय की अचल सम्पत्ति पट्टा सं0 28 दिनांक 05.6.2017 क्षेत्रफल 222 वर्गगज ग्राम पंचायत मीना सीमला पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा